

अनुदान संख्या 81 - भू-संसाधन विभाग
GRANT No. 81-DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)					
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	2403,90,00	2404,69,00	1792,74,90	-611,94,10
पूरक	Supplementary	79,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				611,50,24

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, कुल बचतें (61194.10 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 79.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (Rs.61194.10 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.79.00 lakhs obtained in October, 2008 and constituted 25 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)					
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2501" ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	173940.00	156003.44	156028.71	+25.27
पु.	R.	-17936.56			
मुख्य शीर्ष "2506" भूमि सुधार	Major Head "2506" Land Reforms				
मू.	O.	500.00	321.73	267.15	-54.58
पु.	R.	-178.27			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	23500.00		
पु.	R.	-23500.00
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	41560.00	22272.27	22262.30
पु.	R.	-19287.73		-9.97
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O.	500.00	190.00	190.00
पु.	R.	-310.00		..

(I) 34500.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.34500.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2501" - "बंजर भूमि विकास - अन्य व्यय - जैव ईंधन स्कीम" - 4500.00 लाख रु. आर्थिक कार्यो संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2501" - "Waste Land Development - Other Expenditure - Bio Fuels Scheme" - Rs.4500.00 lakhs- due to non approval of the scheme by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(B) Major Head "2552" -

(क) "बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम" -

(a) "Waste Land Development - National Waste Land Developments Programme"-

- (i) “एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम” - 15000.00 लाख रु.;
- (ii) “व्यावसायिक सहायता और अन्य कार्यकलाप” - 3250.00 लाख रु.; और
- (ख) “भूमि सुधार - अन्य व्यय” -
- (i) “राष्ट्रीय व्यापक भू-संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम” - 4070.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

- (ii) “व्यावसायिक सहायता और अन्य कार्यकलाप” - 680.00 लाख रु.;
- (ग) “बंजर भूमि विकास - अन्य व्यय - जैव ईंधन स्कीम” - 500.00 लाख रु.; और
- (गा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भूमि सुधार - अन्य अनुदान - व्यावसायिक सहायता और अन्य कार्यकलाप” - 6500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान व्यय वित्त समिति/मंत्रिमंडल से स्कीम का अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2501” - “बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

- (का) “एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम” - 2252.96 लाख रु. की बचत (155240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

- (i) “Integrated Watershed Management Programme” - Rs.15000.00 lakhs;
- (ii) “Professional Support and Other Activities” – Rs.3250.00 lakhs; and
- (b) “Land Reforms – Other Expenditure” –
- (i) “National Programme for Comprehensive Land Resource Management” - Rs.4070.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- (ii) “Professional Support and other Activities” – Rs.680.00 lakhs;
- (c) “Waste Land Development - Other Expenditure - Bio-Fuels Scheme” – Rs.500.00 lakhs; and
- (C) Major Head “3601” - “Grants for Central Plan Schemes - Land Reforms - Other Grants-Professional Support and Other Activities” – Rs.6500.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to delay in receipt of approval of scheme from Expenditure Finance Committee/Cabinet.

(II) Under Major Head “2501” – “Waste Land Development- National Waste Land Development Programme-” – savings occurred under the following heads:-

- (A) “Integrated Watershed Management Programme” – saving of Rs.2252.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.155240.00 lakhs); and

(खा) “व्यावसायिक सहायता और अन्य कार्यकलाप” - 11158.28 लाख रु. की बचत (14000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यय वित्त समिति/आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति से स्कीम का अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2506” - “अन्य व्यय - व्यावसायिक सहायता और अन्य कार्यकलाप” के अंतर्गत 144.01 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षमता निर्माण के लिए कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भूमि सुधार - अन्य अनुदान - राष्ट्रीय व्यापक भू-संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम” के अंतर्गत 16414.04 लाख रु. की बचत (35050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(V) मुख्य शीर्ष “3602” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भूमि सुधार - अन्य अनुदान - राष्ट्रीय व्यापक भू-संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम” के अंतर्गत 310.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/व्यय वित्त समिति से स्कीम का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 3616.34 लाख रु. का अधिक व्यय (10.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों के किए जाने के कारण हुआ।

(B) “Professional Support and Other Activities” – saving of Rs.11158.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in receipt of approval of scheme from Expenditure Finance Committee/Cabinet Committee on Economic Affairs.

(III) Under Major Head “2506” – “Other Expenditure - Professional Support and Other Activities”- saving of Rs.144.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-finalization of some proposals for capacity building.

(IV) Under Major Head “3601” – “Grants for Central Plan Schemes - Land Reforms - Other Grants- National Programme for Comprehensive Land Resource Management” – saving of Rs.16414.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.35050.00 lakhs); and

(V) Under Major Head “3602” – “Grants for Central Plan Schemes - Land Reforms - Other Grants - National Programme for Comprehensive Land Resource Management” – saving of Rs.310.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in receipt of approval of the scheme from Cabinet Committee on Economic Affairs/ Expenditure Finance Committee.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head “3601” – “Grants for Central Plan Schemes – Waste Land Development - National Waste Land Development Programme – Integrated Watershed Management Programme” – excess of Rs.3616.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

574

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 57.74 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of Rs.57.74 lakhs occurred constituting 12 percent of the total sanctioned provision.
